न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बिलोता
(श्री सुभाषचन्द्र शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)
अपील संख्या 3/2015
निर्णय दि. 25-5-2015

उनवान

सीताराम पुत्र मनफूल जाति मीना निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रवण पुत्र मनफूल जाति मीना निवासी उखलाना तह. उनियारा
2. रामपति पुत्री " " " "
3. बुद्धिप्रकाश पुत्र लड्डू " " "
4. रेखा पुत्री लड्डू नाबालिग जरिये सरपरस्ती माता पाना
5. पाना पत्नी लड्डू जाति मीना निवासी उखलाना तह. उनियारा
6. सरपंच ग्राम पंचायत बिलोता तहसील उनियारा
7. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण सं. 723 दि. 27-7-2010 ग्राम उखलाना

उपस्थित :- 1. श्री सीताराम स्वयं अपीलान्ट
2. सरपंच ग्रा० प० बिलोता
3. तहसीलदार उनियारा

निर्णय

अपीलान्ट के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्ट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख०न० $\frac{1771}{0-51}$, $\frac{1772}{0.61}$ कुल किता

उपखण्ड अधिकारी
...जिला टोंक

Scanned by CamScanner

2 कुल रकबा 1-12 है० वाके ग्राम उरवलाना तहसील सिकराय मे स्थित है। जिस पर अपीलान्ट का निरंतर निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट पिछले 5-6 साल से गांव मे मजदूरी नहीं मिलने के कारण जीविकोपार्जन हेतु दिल्ली चला गया था और वहीं रहकर मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा था तथा समय-2 पर आकर अपने भाई रेस्पोंडेन्ट न० 1 से उक्त आराजी पर हुई फसल का हिसाब कर राशी ले जाया करता था। इस वर्ष अपीलान्ट जब हिसाब करने आया तो रेस्पोंडेन्ट ने अपीलान्ट को उपज की राशी देने से मना कर दिया तथा कहा कि उसने उक्त आराजी अपीलान्ट को मृत घोषित कर अपने व भाई लड्डू के वारिसान रेस्पोंडेन्ट न० 3 ता 5 तथा बहिन रेस्पोंडेन्ट न० 2 के नाम जरिये फर्जी नामा० अपने पक्ष मे तस्दीक करवा लिये, अब तुम्हारा उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा उसने उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र चैनदेवी पत्नी भरतराम जाति मीना निवासी उरवलाना को विक्रय कर दी है।

नामांतरकरण संख्या 723 वाके ग्राम उरवलाना फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 8-7-2010 के आधार पर ग्राम पंचायत बिलोना द्वारा तस्दीक किया गया है। जिसे खारिज कर बादगुस्त आराजी पुन: अपीलान्ट के नाम खातेदारी मे दर्ज की जावे।

[signature]

उप खण्ड अधिकारी

(3)

उक्त अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत बिलोता पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में अपीलान्ट सीताराम, रेस्पोंडेन्ट नं० 2 रामपति, रेस्पोंडेन्ट नं० 6 सरपंच ग्राम पंचायत बिलोता, रेस्पोंडेन्ट नं० 7 तहसीलदार अनिवार्य के अलावा अपीलान्ट की माता रामप्यारी चाचा गिर्राज, व श्रीमति तस्वीर वार्ड पंच ग्रा०पं० बिलोता भी उपस्थित हुये। लोक अदालत में उपस्थित सीताराम की माता रामप्यारी, चाचा गिर्राज व वार्डपंच श्रीमति तस्वीर के बयान लिये गये। तीनो ने अपने बयान में कथन किया है कि श्री सीताराम पूर्व में खाने कमाने के लिये बाहर चला गया था, जो वापस उरवलाना आ गया है तथा सीताराम अभी जिन्दा है। सरपंच ग्राम पंचायत ने अवगत कराया कि राजस्थान सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना भवन तिलक मार्ग जयपुर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव के पत्र क्रमांक एफ.13/1/3/डी-5/बीएस/डीईएस/2285 दि० 12-1-15 की अनुपालना में सीताराम पुत्र श्री मनफूल मीना निवासी ग्राम उरवलाना पोस्ट बिलोता का मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बयानात पर

(signature)

उप... अधिकारी, ...निवारा जिला टोंक

गौर किया गया। नामान्तरकरण संख्या 723 ग्राम उरवलाना में आराजी रकबा 1771/0-51, 1772/0-61 शंकर पुत्र रामपाल व सीताराम पुत्र मनफूल कौम मीना साकिन देह खातेदार (जी की जो, मृत्यु प्रमाण पत्र, मुताबिक खसरा एवं रिपोर्ट पटवारी के आधार पर सीताराम के फौत होने पर दिनांक 22-7-2010 को सरपंच ग्राम पंचायत बिलोता द्वारा शंकर पुत्र रामपाल हि० 1/2, श्रवण पुत्र मनफूल हि० 1/6 बुद्धिप्रकाश पुत्र लड्डु, रेखा मनीषा पुत्रियां लड्डु नाबालिग सरपरस्ती माता पाना एवं धर्म पत्नी लड्डु हि० 1/6 कौम मीना सा० देह के नाम तस्दीक किया गया है।

अपील का मुख्य विवाद सीताराम के मृत या जीवित होने का है। पत्रावली पर उपलब्ध बयानात से स्पष्ट है कि सीताराम अपीलान्ट जीवित अवस्था में है, जिसकी पहचान उसकी माता व अन्य गवाहान के द्वारा भी की गई है। राजस्थान सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना भवन तिलक मार्ग जयपुर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव पत्र क्रमांक एफ 13/13/डी-5/बी एस डीईएस/2284 दि० 12-1-15 की अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत बिलोता पर इ उनिपाश द्वारा सीताराम पुत्र श्री मनफूल मीना निवासी ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

उरवलाना पोस्ट बिलोता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी निरस्त कर दिया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त हो जाने से नामान्तरकरण संख्या 723 स्वतः ही प्रभाव शून्य हो चुका है।

अतः तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे नामांतरकरण संख्या 723 दि० 22-7-10 ग्राम उरवलाना को निरस्त करते हुये पूर्ववत अंकन ही यथावत रखे।

यह निर्णय आज दि० 25-5-2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner